न्यायालय सहायक कलक्टर (मु0)–सीकर

उनवान– संजीव कुमार बनाम पकंज शर्मा आदि

किस्म मुकदमा– आ0 पत्र अ0धारा 212 आर.टी.ए. 1955 मु.नं0 106 वर्ष 2024

दिनांक	आज्ञा पत्र	
13.02.2025	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी पक्ष उपस्थित। बहस प्रार्थना–पत्र टी0आई0 सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा आवेदन अंतर्गत धारा 212 रा0काश्त0अधिनियम में अंकित प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को ही दोहराया । वकील प्रार्थी ने आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु निवेदन किया। हमने वकील प्रार्थी की बहस सुनी, उसपर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया, जिससे जाहिर है कि राजस्व ग्राम अखैपुरा प0ह0 किशनपुरा भू0अ0नि0 क्षेत्र रानोली तह0 दांतारामगढ़, सीकर की तन में कृषि भूमि ख0नं0 420/81 रकबा 0.5360 है0 ख0नं0 416/79 रकबा 0.4410 है0 तथा भूमि ख0नं0 418/80 रकबा 0.3370 है0 अवस्थित है। जिनके पुराने ख0नं0 1851 रकबा 2 बीघा 4 बिस्वा, ख0नं0 1853/1 रकबा 4 बीघा 3 बिस्वा ख0नं0 1852 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा रहे है। भूमि ख0नं0 418/80 व 416/79 की खातेदारी पूर्व में प्रार्थी के पिता के नाम दर्ज थी। प्रार्थी के पिता रामविलास द्वारा वर्ष 2015 में कृषि भूमि ख0नं0 416/79 का बेचान लालचंद पुत्र जगन्नाथ चौधरी व पंकज शर्मा पुत्र रमेश शर्मा को तथा कृषि भूमि ख0नं0 418/80 का बेचान संजय कुमार पुत्र मुरारीलाल को किया गया था। वर्तमान में कृषि भूमि ख0नं0 416/79 की खातेदारी अप्रार्थी सं0 1 व 2 के नाम दर्ज है एंव कृषि भूमि ख0नं0 418/80 की खातेदारी अप्रार्थी सं0 1 के नाम दर्ज है तथा कृषि भूमि ख0नं0 420/81 की खातेदारी प्रार्थी व अप्रार्थी सं0 1, 3, 4 के नाम दर्ज है। कृषि भूमि ख0नं0 416/79 रकबा 0.4410 है0 संपूर्ण व ख0नं0 418/80 रकबा 0.3370 है0 संपूर्ण तथा ख0नं0 430/81 रकबा 0.5360 है0 में से 0.0836 है0 इस प्रकार कुल रकबा 0.8660 है0 का बेचान प्रार्थी के पिता द्वारा लालचंद बंसल पुत्र जगनाथ चौधरी व पंकज शर्मा पुत्र रमेश शर्मा व संजय कुमार पुत्र मुरारीलाल गुप्ता के पक्ष में वर्ष 2015 में किया था तथा मौके पर उपरोक्त रकबे के अनुसार कब्जा सुपुर्द कर दिया था तथा क्रेतागण द्वारा खरीद शुदा भूमि पर चारदिवारी निर्मित कर ली थी। भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान मूल ख0नं0 79, 80, 81 की तरमीम जमाबंदी में दर्ज रकबे के अनुरूप नहीं कर ख0नं0 79 की तरमीम दर्ज रकबे से ज्यादा कर दी तथा ख0नं0 80 व 81 की तरमीम दर्ज रकबे से कम कर दी। भूमि ख0नं0 416/79 का रकबा जमाबंदी में 0.4410 है0 दर्ज है जबकि नक्शे के अनुसार 0.5380 है0 बनता है तथा ख0नं0 418/80 का रकबा जमाबंदी में 0.3370 दर्ज है जबकि नक्शे के अनुसार 0.3143 है0 बनता है तथा इसी अनुसार ख0नं0 420/81 का रकबा जमाबंदी में 0.5360 है0 दर्ज है जबकि नक्शे के अनुसार 0.4931 है0 बनता है। सहायक कलक्टर (मु.) सीकर	

Scanned with CamScanner

चूंकि प्रार्थी द्वारा वाद बाबत बंटवारा, स्थायी निषेधाज्ञाा व रिकॉर्ड दुरूस्ती पेश किया गया है एंव अप्रार्थीगण बावजूद रजिस्टर्ड तामील उपस्थित नहीं है तथा वाद का अंतिम निस्तारण मेरिट के आधार पर गुणावगुण अनुसार होना है। इस प्रकार पृथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णीय क्षति प्रार्थिया के पक्ष में होना पाया जाता है इसलिए न्यायहित में अप्रार्थीगण को मूल वाद के निस्तारण तक जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना न्यायालय उचित समझता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 राज0काश्त0 अधिनियम स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि मूल वाद के निस्तारण तक मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलक्टर (मु0)सीकर

Scanned with CamScanner